न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 156 /21

उनवान

लक्षमण पुत्र भैरू नाथ निवासी सुरजनगर(लूलास)

– प्रार्थी

बनाम

1. धन्ना पिता रामा जाट निवासी देवपुरा लूलास तहसील शाहपुरा
2. भैरू पिता रामा जाट निवासी देवपुरा लूलास तहसील शाहपुरा
3. बद्री पिता देवा जाट निवासी देवपुरा लूलास तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश वर्मा : अभिभाषक प्रार्थी
2– श्री नमन ओझा : अभिभाषक विपक्षीगण सं0 1, 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 03/10/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **लूलांस पटवार हल्का लूलांस** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 1451 रकबा 1.18 है0** कुल किता **1** रकबा **1.18** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। जिसे प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 01 में वर्णित आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। प्रार्थी अपनी मेड़ों से घास काटते समय विपक्षीगण विवाद करते है। इस प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 16.08.2021 को **विपक्षीगण संख्या 03** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 1, 2** की ओर से अभिभाषक श्री जयन्त ओझा द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 31.08.2021 को अभिभाषक श्री जयन्त ओझा द्वारा अधिकार पत्र एवं विपक्षीगण सं0 1, 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थी को उपलब्ध करवाये जाने हेतु अभिभाषक विपक्षीगण को निर्देशित किया गया प्रकरण वास्ते बहस के नियत किया गया। दिनांक 12.04.2023 को प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी प्रकरण वास्ते आदेश के नियत किया गया। दिनांक 01.05.2023 को मंत्रालियक कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल एवं प्रशासन गांव के संग अभियान के पश्चात पत्रावली दिनांक 16.08.2023 को पेश हुई। बहस सुने एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने से प्रकरण पुनः बहस के नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 26.09.2023 को पुनः बहस सुनी गयी।

बहस में अभिषक प्रार्थी ने बताया कि आराजी नम्बर 1451 का प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थी अपनी रेकार्डेड खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार प्रार्थी की रेकार्डेड भूमि की पत्थरगढी करवाई जावे। अभिभाषक विपक्षीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात 1451 के किसी भी रकबे पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी गांव सूरजपुरा को रहने वाला है जो लूलास से 10 कि0मी0 दूर है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा कभी भी नहीं रहा है। प्रार्थी द्वारा देवनारायण की बनी के पर फर्जी तरीके से अलोट करा लिया, किन्तु भूमि पर आज दिनांक तक कभी भी कब्जा नहीं किया। धारा 128 एलआरए के तहत कार्यवाही धारा 111 के अनुसार होती है। धारा 128 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा धारा 111 की पालना नहीं की गयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि धारा 128 के तहत खातेदार काश्तकार सीमादेही की घोषणा का अधिकारी है। कब्जे संबंधी मौका रिपोर्ट पत्थरगढी के बाद ही आ पायेगी। पत्थरगढी कराये जाने हेतु काश्तकार का उसी गांव रहना जरूरी नहीं है। कोई किसी दूसरे गांव में रह सकता है। अतः बतौर रेकार्डेड काश्तकार पत्थरगढी कराये जाने का आदेश बक्षावें।

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
ाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम लूलांस पटवार हल्का लूलांस संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी में** दर्ज होकर प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। रेकार्डेड खातेदार होने से प्रार्थी को अपनी भूमि का पत्थरगढी कराने का हक एवं अधिकार है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **लूलांस** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **1 रकबा 1.18 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 500/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **03/10/2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा